**कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।**
**पत्रांक– 497 /14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 02/8/2017.**

सेवा में,

डिविजनल प्रबन्धक (यू0पी0–सी)
एस्सार आयल लिमिटेड 315, 316, टीसी/जी--2/2
एवं टीसी/जी–5/5 तृतीय तल
साइबर हाइट्स विभूति खण्ड गोमती नगर
लखनऊ।

विषयः– जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्राम– बनीकोडर, तहसील– रामसनेहीघाट, जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 288 तथा 305 में भिटरिया– हैदरगढ़ मार्ग पर किमी0 01–02 के मध्य दायी पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052743 हे0 (पूर्व में 0.0493 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/15/2017/एफ0सी0/180 दिनांक 28–07–2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/ 06/15/ 2017/एफ0सी0/180 दिनांक 28–07–2017 द्वारा जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लि0 ए–5, सेन्टर–3 नोयडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम– बनीकोडर, तहसील– रामसनेहीघाट, जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 228 तथा 305 में भिटरिया– हैदरगढ़ मार्ग के किमी0 01–02 के मध्य दायी पटरी पर स्थित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.052743 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के सैद्धान्तिक स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, इसके क्रम में उक्त सभी निधियां भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की धनराशि तथा प्रभावित 0.052743 हे0 के सापेक्ष 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुए अलग– अलग ई– पोर्टल के चालान के माध्यम से दिनॉक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइड पर **www.forestsclearnce.nic.in** में चालान के माध्यम से ई– पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई– पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी बिन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या सहित सूचना निम्न बिन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का एन0आई0 सी0 के माध्यम से प्राप्त ई– पोर्टल के चालान द्वारा नई दिल्ली में जमा करके चालान की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनॉक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी बिन्दुओं पर अलग– अलग अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नही होगी।

| | |
|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **रू0 38600/– ( रू0 अड़तिस हजार छः सौ मात्र)** ( वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाय। |
| 2–(क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5--3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि **रू0 33017/– ( तैतीस हजार सत्रह रूपये मात्र** (कैम्पा) नई दिल्ली में जमा की जाय। |
| (ख) | इसके उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0,एवं 100 वृक्षों के वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) |

Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| | प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। |
| (ग) | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का **बचन बद्धता प्रमाण पत्र** (समक्ष स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। |
| 3 | विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के ( forward ) एवं पीछे (backward ) उनकी दिशा ( bearing ) भी लिखनी होगी। |
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (156.00 वर्म मीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर किया जायेगा। |
| 5 | प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम– 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। |

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार के पत्र सं0– II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनॉक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम– 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। **याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जायेंगे।**

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या निम्न निर्धारित प्रपत्र में समस्त शपथ पत्रों/अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

| Observ No | Observation of GOI | Reply |
|---|---|---|
| | | |

भवदीय,

( जावेद अख्तर )
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

**संख्या / उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी रामसनेहीघाट को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रयोक्त एजेन्सी को तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय। जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित करना है कि वर्तमान समय में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन याचक विभाग द्वारा किये जाना सम्भव है तथा अध्यत्न स्थिति उपरोक्तानुसार ही है। जिससे अनुपालन आख्या के समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

( जावेद अख्तर )
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

Scanned by CamScanner